

उच्च न्यायालय : मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/3312 /

जबलपुर, दिनांक 30 / अप्रैल, 2024

श्री रिकु बिरहा, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 04.04.2024 कुल 35 दिन बिना सूचना/आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत न करने हुए आदेश की अवहेलना करने के फलस्वरूप उक्त अवधि का अवैतनिक किया जाता है एवं दिनांक 10.04.2024 से बिना सूचना एवं आवेदन के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उनका वेतन आगामी आदेश तक रोका जाता है ।


सही / -
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक A/3313 /

जबलपुर, दिनांक 30 / अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे.), लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकाल/वेतनपत्रक), उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाइपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
6. श्री रिकु बिरहा, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


29.0.24
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)